

पत्र सं०-न्याय .व०प०अ०अपील/ विभागीयप्रतिनिधित्व(2010-11)/1011043 वाणिज्य कर
कार्यालय कमिशनर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश
(वाद अनुभाग), सिताबगढ़
लखनऊ/ दिनांक/ 10 अगस्त, 2010

समस्त जोनल एडीशनल कमिशनर,
समस्त एडीशनल कमिशनर ग्रेड-2(अपील),
समस्त ज्वाइन्ट कमिशनर (अपील),
समस्त ज्वाइन्ट कमिशनर (कार्यपालक),
समस्त डिप्टी कमिशनर, कर निर्धारण,
समस्त असिस्टेंट कमिशनर, कर निर्धारण
वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

विषय:- प्रथम अपील में विभागीय पक्ष प्रस्तुत किये जाने के सम्बन्ध में।

शासन स्तर पर कर निर्धारण आदेशों की गुणवत्ता में सुधार हेतु प्रमुख सचिव, कर एवं निबन्धन की अध्यक्षता में दिनांक 11.8.2010 की हुई बैठक में विचार-विमर्श के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया है कि विभाग में अपीलीय अधिकारियों द्वारा व्यापारियों की जो अपील सुनी जाती हैं, उनमें सुनवाई के समय प्रायः विभाग का पक्ष मजबूती से प्रस्तुत नहीं हो पा रहा है, जिससे शासन को राजस्व की क्षति हो रही है।

2. उपर्युक्त समस्या के समाधान के लिए यह निर्देश दिये जाते हैं कि समस्त एडीशनल कमिशनर ग्रेड-2(अपील) /समस्त ज्वाइन्ट कमिशनर(अपील) यह सुनिश्चित करें, कि रुपये पचास हजार से अधिक विवादित धनराशि वाली अपीलों की सुनवाई माह के प्रथम व तृतीय सप्ताह में करेंगे। अपीलों के निस्तारण की तिथि इस प्रकार निर्धारित की जाए, कि प्रत्येक सेक्टर के व्यापारियों की सुनवाई उस सप्ताह में एक ही दिन निर्धारित की जाए। इस प्रकार प्रत्येक खण्ड के व्यापारियों की अपील प्रथम व तृतीय सप्ताह में कुल मिलाकर दो दिन में सुनी जाएगी। जिस खण्ड/कार्यालय से संबंधित अपील की सुनवाई निश्चित की जाएगी, उस खण्ड से संबंधित डिप्टी कमिशनर/असिस्टेंट कमिशनर(सेक्टर प्रभारी अधिकारी) अपीलीय अधिकारी के समक्ष विभागीय प्रतिनिधित्व करने जायेंगे तथा उनके खण्ड से संबंधित अगली सुनवाई की तिथि पर नियत होने वाली अपीलों को नोट करेंगे तथा अगली तिथि पर इन अपीलों की सुनवाई के संबंध में विभागीय पक्ष प्रस्तुत करने हेतु तैयारी करेंगे।

3. अपीलीय अधिकारी के समक्ष विभागीय प्रतिनिधित्व हेतु उपस्थित होने वाले डिप्टी कमिशनर(क०नि०)/असिस्टेंट कमिशनर द्वारा एक अपील जिरह रजिस्टर रखा जायेगा जिसमें सुनवाई के दिन सुनी जाने वाली अपीलों का विवरण तथा प्रस्तुत किये गये तर्कों का संक्षिप्त विवरण अंकित किया जाय। सुनवाई के अगले दिन उक्त रजिस्टर को ज्वाइन्ट कमिशनर(कार्यपालक) को अवलोकित कराया जायेगा। यदि प्रस्तुत किये गये तर्कों का समावेश अपील आदेश में नहीं पाया जाय तो सम्बन्धित अपील अधिकारी के समक्ष इस आशय का प्रार्थना

पत्र प्रस्तुत किया जाय एवं इस तथ्य को जोम्के एडीशनल कमिशनर ग्रेड-1 के संज्ञान में लाया जाय।

4. सामान्यतया विभागीय प्रतिनिधित्व करने हेतु खण्ड के डिप्टी कमिशनर(क0नि0) ही उपस्थित होंगे। उनकी अनुपस्थिति में उस खण्ड के असिस्टेंट कमिशनर और उनकी भी अनुपस्थिति में खण्ड के लिंक अधिकारी विभागीय प्रतिनिधित्व हेतु उपस्थित होंगे।

5. जिन मामलों में विधिक बिंदु या करापंचन का बड़ा मामला निहित है, उसमें विभाग का प्रतिनिधित्व करते समय लिखित तर्क दाखिल किये जायेंगे। यदि अपीलीय निर्णय में कोई विधिक त्रुटि है या लिखित तर्कों को अपीलीय निर्णय में समावेश नहीं किया गया है, तो संबंधित कर निर्धारण अधिकारी, ज्वाइन्ट कमिशनर (कार्यपालक) के संज्ञान में उक्त तथ्य लाकर प्राथमिकता के आधार पर द्वितीय अपील दाखिल करायेंगे तथा ऐसे निर्णय की प्रति व अपील आधार की प्रति मुख्यालय निरीक्षण अनुभाग को आवश्यक कार्यवाही हेतु उपलब्ध करायेंगे।

6. प्रत्येक जोनल एडीशनल कमिशनर ग्रेड-1 का यह उत्तर दायित्व होगा कि उपरोक्तानुसार अपीलीय कार्यवाही कराना सुनिश्चित करेंगे। अपील कार्यालय के निरीक्षण के समय उक्त बिन्दुओं पर विशेष रूप से निरीक्षण कर वस्तुस्थिति से मुख्यालय को अवगत करायेंगे।

उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करना सुनिश्चित किया जाए।

10/9/10
(चन्द्रमानु)

कमिशनर वाणिज्य कर,
उ0प्र0, लखनऊ।

पू0 पत्र संख्या व दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

- 1- प्रमुख सचिव, कर एवं निबन्धन विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ।
- 2- एडीशनल कमिशनर (विधि) वाणिज्य कर, मुख्यालय, लखनऊ।
- 3- एडीशनल कमिशनर ग्रेड-1/2(उ0न्या0 कार्य) वाणिज्य कर, इलाहाबाद / लखनऊ।
- 4- समस्त अनुभाग अधिकारी वाणिज्य कर, मुख्यालय लखनऊ।
- 5- ज्वाइन्ट कमिशनर(मैनुअल) वाणिज्य कर, मुख्यालय, लखनऊ।

10.9.10
(एस0 पी0 श्रीवास्तव)

एडीशनल कमिशनर(विधि)वाणिज्य कर
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।